

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 923] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 2014/वैशाख 4, 1936

No. 923] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 2014/VAISAKHA 4, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2014

का.आ. 1123(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सुधीर मित्तल को, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का उनके उस पद का भार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अग्रिम आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. 5/24/2013-सीएस] मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2014

S.O 1123(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 read with sub-section (1) of section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Shri Sudhir Mital as Member of the Competition Commission of India from the date of his assumption of

1729 GI/2014 (1)

charge of the post for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 5/24/2013-CS]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2014

का.आ 1124(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अगस्टाइन पीटर को, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का उनके उस पद का भार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अविध के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अग्रिम आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. 5/24/2013-सीएस] मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2014

S.O. 1124(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 read with sub-section (1) of Section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Shri Augustine Peter as Member of the Competition Commission of India from the date of his assumption of charge of the post for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 5/24/2013-CS]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.